भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय मान्नीय बोर्ड आफ रेवेन्यू म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्र.क्रं. निग - 1181-II/16 सन् 2016

कन्छेदी उर्फ प्यारेलाल काछी तनय कड़ोरा काछी

निवासी –ब्रम्हदेव मंदिर के पास, छतरपुर म.प्र. -------------आवेदक

बनाम

1– श्रीमती सन्तू (फौत) पुत्री कड़ोरा काछी पत्नि रघुनाथ

नि0 ग्राम काशीपुरा

अ– रामचरन काछी तनय रघुनाथ काछी

नि0– काशीपुरा तह0 छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.

ब– रघुनाथ काछी काशीपुरा सर्किल ईशानगर

2– श्रीमती अन्तु पुत्री कड़ोरा काछी पत्नी

निवासीगण नटपुरवा(नारायणपुरा)तह0 छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.--अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय छतरपुर के प्रकरण कं. 21/अ6अ/13–14 मे पारित आदेश दिनांक 25.2.16 के विरूद्ध

मान्यवर महोदय,

आवेदक निम्नलिखित विमन्र निवेदन सादर प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि अनावेदिकाओं ने श्रीमान् तहसीलदार छतरपुर के न्यायालय में अनाावेदकगण के विरूद्ध आवेदन पत्र धारा 115, 116, 109, 110 एवं धारा 32 भ.प्र.भू.रा.सं. 1959 के अन्तर्गत रिकार्ड संशोधन किये जाने हेतु पेश किया था तथा ग्राम बरकौंहा स्थित आराजी खसरा नं. 749, 755 किता–2 रकवा 6.135 आरे के रिकार्ड दुरूस्ती एवं धारा 109, 110 म.प्र.भू.रा.सं. के अन्तर्गत श्रीमान् तहसीलदार महोदय के न्यायालय में आवेदन नामांतरण हेतु दिया था ।

2– यह कि आवेदक कन्छेदी का विवादित आराजी के संबंध में नामांतरण संवत् 2026 को हो गया था जिसके संबंध में अनावेदिकाओं ने कभी भी कोई आपत्ति नहीं की । आवेदक कन्छेदी का विवादित आराजीयात में लगातार कब्जा पिता कड़ोरा काछी के फौत हो जाने के बाद लगातार चला आया ओर आज भी है ।

3– यह कि करोड़ा जिसे फौत हुये 45 वर्ष हो चुके है अनावेदिकाओं की शादी विवाह में अत्याधिक धन व्यय किया व अपनी भूमि स्वामी स्वत्व की आराजीयात विक्रय की थी अनावेदिकाओं एवं श्रीमती सन्तू का पुत्र रामचरन व पति रघुनाथ का कभी भी विवादित आराजीयात पर कोई भी कब्जा नहीं

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1181-दो/2016 कन्छेदी विरूद्ध सन्तू व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक कन्छेदी की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक क्रमांक 1(अ),2 व 3 की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 21/अ6अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25-02-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-04-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

18/12/18

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

18.12.18
(आर.के. जैन)
सदस्य